सं0सं0 9/आ0–03–01/2010

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग, बिहार पटना के धावादल के द्वारा डा0 श्रीप्रकाश तिवारी तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरिया , पूर्वी चम्पारण को दिनांक 15.12.09 को श्रीमती सुनैना कुमारी, पति श्री योगेन्द्र ठाकुर ग्राम– हरमाहा थाना–केसरिया, जिला पूर्वी चम्पारण सम्प्रति ए0एन0एम0 स्वास्थ्य उप केन्द्र भोजपुर जिला पूर्वी चम्पारण से मुश्कान अभियान योजना के तहत किये गए कार्यो के प्रोत्साहन राशि के भुगतान के एवज में 3000/– (तीन हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए सरकारी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विभाग के द्वारा निगरानी थाना में डा0 तिवारी के विरूद्ध उक्त आरोपों के लिए थाना कांड संख्या 125/09 दिनांक 15.12.09 दर्ज किया गया।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए डा0 तिवारी को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 300(9) दिनांक 11.03.10 के द्वारा निलम्बित किया गया एवं जेल से छूटने के बाद उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 1198(9) दिनांक 07.10.10 के द्वारा दिनांक 25.03.2010 के प्रभाव से पुनः निलम्बित करते हुए डा0 तिवारी के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 255(9) दिनांक 07.02.2012 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) में डा0 तिवारी के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में आरोप को प्रमाणित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) की प्रति डा0 तिवारी को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक 129(9) दिनांक 13.02.2014 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गयी जिसके आलोक में डा0 तिवारी से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युतर असंतोषप्रद पाया गया।

4. डा0 तिवारी के विरूद्ध रिश्वत प्राप्त करने एवं उक्त आरोपों के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का आरोप प्रमाणित है।

5. उपर्युक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के आधार पर डा0 श्रीप्रकाश तिवारी तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरिया, पूर्वी चम्पारण को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है। निलम्बन अवधि के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई वेतनादि भुगतेय नहीं होगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पटना के पत्रांक 1331/लोक सेवा आयोग दिनांक 03.09.2014 के द्वारा आयोग की सहमति प्राप्त है।

आदेशः– संकल्प की प्रति डा0 श्रीप्रकाश तिवारी एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

ह0/–

संयुक्त सचिव,

स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांकः 35 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 21/01/2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E/Sankalp folder 2013

प्रतिलिपि :– अवर सचिव (मुद्रण) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/ सिविल सर्जन, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 श्रीप्रकाश तिवारी तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरिया , पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को उनके पत्रांक 1331 दिनांक 03.09.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

20/1/15

संयुक्त सचिव

E/Sankalp folder 2013